पर्यटक ग्राम खजुराहो के मेरिज गार्डन को पांच वर्षो के लिए किराये से देने संबंधित निविदा की शर्ते व नियम

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाई पर्यटक ग्राम खजुराहो परिसर के मेरिज गार्डन को किराये पर दिये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.052 हेक्टेयर (10520 वर्ग मीटर) है जिसमें दो हाल तथा कामन टायलेट निर्मित है, जिसका अवलोकन स्थान पर जाकर किया जा सकता है संशय होने पर दूरभाष क्रमांक 07554027148 पर श्री एन.के. स्वर्णकार, वरिष्ठ प्रबंधक तथा खजुराहो के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विजय प्रताप सिंह से 07686274051 कार्यालयीन समय पर संपर्क कर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं।

निविदा प्रक्रिया की शर्ते :–

1. (अ) निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के मूल्य की राशि 1000/– का ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना है, जो वापसी योग्य नही होगा।
   (ब) निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ 1.00 (एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट सुरक्षा निधि के रूप में जमा कराना होगा। निविदा खुलने के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय निविदाकर्ता को छोडकर शेष निविदाकर्ता का ड्राफ्ट एक माह के अन्दर रजिस्टर्ड डाक से वापिस कर दिया जावेगा।
2. उक्त दोनों ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाये जा सकते है। ड्राफ्ट ''मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल'' के पक्ष में देय होगा।
3. सफल प्रथम निविदाकर्ता को 15 दिवस के अन्दर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अन्यथा उनका अधिकार समाप्त कर दिया जावेगा, तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
4. यदि प्रथम निविदाकर्ता द्वारा 15 दिवस कि समय सीमा में अनुबंध निष्पादित करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो द्वितीय सफल निविदाकर्ता को समय दिया जावेगा।
5. निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र (तकनीकी निविदा) समस्त दस्तावेजों सहित एक लिफाफे में रखकर सील बन्द किया जावेगा तथा लिफाफे पर ''तकनीकी निविदा प्रपत्र'' अंकित किया जावे। दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा प्रपत्र रखा जाकर सील बन्द किया जावे तथा लिफाफे पर ''वित्तीय निविदा प्रपत्र'' अंकित किया जावे। उक्त दोनों लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में रखकर बडे लिफाफे पर पर्यटक ग्राम खजुराहो के मेरिज गार्डन की निविदा लिख कर प्रबंध संचालक म0प्र0 पर्यटन विकास निगम पर्यटन भवन, भदभदा रोड को संम्बोधित करे। सील बन्द किया जाकर जमा किया जावे। सभी लिफाफो पर निविदाकर्ता का नाम एवं पता प्रेषक के रुप में लिखे।
6. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना हैः–
   (1) सर्विस टैक्स पंजीयन क्रमांक (प्रमाण पत्र सहित) ....
   (2) आयकर विभाग का पेन क्रमांक (प्रमाण पत्र सहित) ....
7. विगत तीन वर्षो (2011–12, 2012–13 एवं 2013–2014) की (Balance sheet अनिवार्य रूप से संलग्न की जावे। अंतिम वर्ष 2013–2014 से संबधित गतिविधियों का टर्न ओवर 15.00 लाख अथवा इससे अधिक होना चाहिए। अंतिम वर्ष 2013–2014 का टर्न ओवर प्रमाण पत्र चार्टर्ड अकाउन्टेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
8. निविदाकर्ता द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान के साथ कार्य करने का अनुभव, उनके आदेश की प्रति संलग्न की जावे तथा संबंधित विभाग से कार्यानुभव प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. सफल निविदाकर्ता को निगम की शर्तो के अनुसार 1000/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
10. प्राप्त निविदा पत्रों को मान्य/अमान्य करने एवं निविदाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगने का सम्पूर्ण अधिकार निगम के प्रबंध संचालक महोदय को होगा।
11. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाई पर्यटक ग्राम खजुराहो के मेरिज गार्डन का अवलोकन इकाई में किया जा सकता है।
12. बिना धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क के प्राप्त निविदा स्वतः निरस्त समझी जावेगी।

:

नियम व शर्तेः–

1. पर्यटक ग्राम खजुराहो का मेरिज गार्डन 05 वर्ष की अवधि के लिये किराये से संचालन करने हेतु दिया जाना है।
2. प्रथम वर्ष के पश्चात 10% की वृद्धि की जावेगी, जो कि वर्ष समाप्त होने के एक माह पूर्व एक मुश्त अग्रिम जमा करनी होगी। यही शर्त तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्षो के लिये भी लागू होगी।
3. उपरोक्त किराये का अभिप्राय लीज नही है ।
4. सफल निविदाकर्ता को निविदा में भरी गई प्रथम वर्ष के किराये की वार्षिक राशि एवं सर्विस टैक्स (प्रचलित दर से) अनुबंध के समय एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा।
5. सर्विस टैक्स की राशि का भुगतान न करने पर निविदा अमान्य होगी। वार्षिक किराये की राशि के साथ सर्विस टेक्स की राशि जमा न करने पर वार्षिक किराये की राशि में से सर्वप्रथम सर्विस टैक्स की राशि समायोजित की जावेगी।
6. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष का अग्रिम किराये का सर्विस टैक्स की राशि के साथ अग्रिम भुगतान न करने पर निगम को मेरिज गार्डन खाली कराकर अधिपत्य लेने का अधिकार रहेगा एवं ऐसी दशा में यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा कोई अग्रिम बुकिंग की जाती है, तो उसके हर्जाने के लिए सफल निविदाकर्ता स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
7. ऐसी अग्रिम बुकिंग, जो कि पर्यटन निगम द्वारा पहले से ही की जा चुकी है, उन तिथियों में संबंधित पार्टीज को निगम द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ मेरिज गार्डन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. सफल निविदाकर्ता को केवल मेरिज गार्डन उपयोग करने की अनुमति होगी मेरिज गार्डन के अतिरिक्त होटल की किसी अन्य सम्पत्ति अथवा भवन का उपयोग किरायेदार द्वारा नहीं किया जावेगा।
9. मेरिज गार्डन में किसी भी प्रकार के अस्थाई/आंशिक परिवर्तन के पूर्व म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
10. मेरिज गार्डन के उपयोग पर यदि किसी प्रकार का कर म.प्र. शासन अथवा नगर पालिक निगम द्वारा लगाये जाते है तो उसका भुगतान निविदाकर्ता द्वारा ही किया जावेगा।
11. सफल निविदाकर्ता को केवल मेरिज गार्डन के उपयोग के लिए टीन शैड आदि अस्थायी निर्माण करने की पात्रता होगी।
12. सफल निविदाकर्ता द्वारा निम्नानुसार अग्रिम किराये के पोस्ट डेटेड चेक अनुबंध के समय जमा करना अनिवार्य होगा (**द** में दर्शाए गए अनुसार) जो कि अनुबंध की शर्त के अनुसार प्रत्येक वर्ष के एक माह पूर्व की तिथी के पोस्ट डेटेड चैक जमा करने होगें :–

किराया अवधि	अ	ब	स	द (अ ब स का योग)
द्वितीय वर्ष का किराया	प्रथम वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
तृतीय वर्ष का किराया	द्वितीय वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
चतुर्थ वर्ष का किराया	तृतीय वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
पंचम वर्ष का किराया	चतुर्थ वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल

13. निर्धारित अवधि के अंतर्गत मेरिज गार्डन की रिपेयर्स एवं मेनटीनेंस (मुख्यतः घास, पेड–पौधे तथा हार्टीकल्चर) हाउस किपिंग किरायेदार द्वारा किया जावेगा, यदि आवश्यकता होने पर किरायेदार द्वारा मेरिज गार्डन का रिपेयर मिन्टीनेस नहीं किया जाता है तो म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, किरायेदार की प्रतिभूति राशि में से काट कर रख–रखाव एवं मेनटीनेंस आदि का कार्य कराने के लिये स्वतंत्र होगा।
14. किरायेदार द्वारा मेरिज गार्डन की साफ–सफाई स्वयं के व्यय पर करानी होगी।
15. यदि किरायेदार द्वारा होटल के प्रांगण में किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाई जाती है तो उसकी भरपाई के लिये किरायेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
16. किरायेदार को म.प्र. शासन द्वारा स्थापित शॉप एण्ड एस्टेवलिशमेंट (स्थापना) एक्ट का पालन करना होगा।

:

17. किरायेदार द्वारा मेरिज गार्डन में संचालित गतिविधियों से संबंधित शिकायत–पुस्तिका स्थल पर रखेगा जिसमें मेरिज गार्डन का उपयोग करने वाले कस्टूमर्स अपने रिमार्क अंकित कर सकेगें।
18. किरायेदार द्वारा किसी भी दशा में मेरिज गार्डन को किसी दूसरी संस्था के साथ हिस्सेदारी (सबलेटिंग) नही करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।
18. किरायेदार म.प्र. शासन द्वारा स्थापित श्रम नियमों का आवश्यक रूप से पालन करेगा।
19. किरायेदार मेरिज गार्डन में सर्विस हेतु जिन कर्मचारियों को रखेगा वे अच्छे चरित्र वाले एवं ग्राहक के साथ कुशल व्यवहार वाले होने आवश्यक होंगे। किरायेदार द्वारा कर्मचारियों की सूची होटल प्रबंधक को सौंपनी होगी। सूची के अतिरिक्त अन्य कोई कर्मचारियों मेरिज गार्डन में सर्विस हेतु प्रवेश नहीं करेगा।
20. किरायेदार द्वारा रखे गये कर्मचारी किसी भी दशा में पर्यटक ग्राम खजुराहो के किसी भी अतिथि के साथ दुर्व्यवहार नही करेगा। इसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता पर होगा।
21. किरायेदार को म.प्र. विद्युत बोर्ड से मेरिज गार्डन में विद्युत के उपयोग हेतु अलग से विद्युत कनेक्शन लेना होगा।
22. पर्यटक ग्राम खजुराहो की ओर से मेरिज गार्डन में की जाने वाली पार्टीयों अथवा किसी भी प्रकार के आयोजन के लिये जल प्रदाय नही किया जावेगा। अतः किरायेदार को पेयजल अथवा अन्य उपयोग के लिये जल की स्वयं व्यवस्था करनी पढेगी।
23. किरायेदार के निवेदन पर पर्यटक ग्राम खजुराहो की ओर से टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसका लोकल काल का किराया रू 3.00 एवं एस. टी.डी. के लिये होटल द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किरायेदार को करना होगा।
24. किरायेदार अथवा उसका कर्मचारी किसी भी दशा में होटल की जल निकासी, ड्रेनेज आदि में रूकावट डालकर वाधित नही करेगे। यदि ऐसा पाया जाता हैं तो ड्रेनेज सिस्टम की साफ–सफाई का व्यय किरायेदार को देना होगा।
25. किरायेदार को मेरिज गार्डन के भीतर अग्नि सुरक्षा के पूर्ण प्रबंध करने होगे। आवश्यक अग्नि शमन यंत्रो का प्रबंध करना होगा एवम् न्यूडवायर्स तथा लूज विद्युत कनेक्शन पर कडाई से रोक लगानी होगी। अन्यथा दुर्घटना के लिये किरायेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपायो का कभी भी होटल प्रबंधन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा।
26. किरायेदार मेरिज गार्डन में ज्वलनशील पदार्थो का न तो स्टोर करेगा ओर ना ही उनका उपयोग करेगा। आतिशबाजी आदि की अनुमति होटल प्रांगण में नही होगी।
27. किरायेदार के कर्मचारियों को अग्नि शमन यंत्रो के संचालन की जानकारी होनी आवश्यक होगी।
28. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पर्यटक ग्राम खजुराहो को उसी दिन मेरिज गार्डन की आवश्यकता होती है, जिस दिन किरायेदार की पार्टी की भी बुकिंग होगी तो इन परिस्थितियों में पर्यटक ग्राम खजुराहो किरायेदार को कोई अन्य वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराकर पर्यटक ग्राम खजुराहो अपने मेरिज गार्डन को उपयोग करने के लिये स्वंतत्र होगा। परन्तु इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी।
29. किरायेदार द्वारा आयोजित की जाने वाली पार्टी एवम् आयोजन की सुरक्षा एवम् पार्किंग स्थल की निगरानी के लिये सुरक्षा गार्ड का प्रबंध स्वयं करना होगा।
30. अनुबंधित मेरिज गार्डन के लिये पर्यटन विकास निगम द्वारा यदि पूर्व में कोई अग्रिम आरक्षण किया गया होगा तो उक्त राशि सफल निविदाकर्ता द्वारा भुगतान किये जाने वाली राशि में समयोजित की जावेगी। किसी भी परिस्थिति में निगम द्वारा की गई अग्रिम बुकिंग को निविदाकर्ता द्वारा अमान्य नहीं किया जावेंगा।
31. सफल निविदाकर्ता के अधिपत्य वाले मेरिज गार्डन की आवश्यकता निगम को अथवा निगम के कर्मचारी को होती है तो सफल निविदाकर्ता 50% डिस्काउन्ट अनिवार्य रूप से देगा।
32. निविदाकर्ता एवं मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद होने पर प्रबंध संचालक महोदय का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
33. दोनों पक्षों में किसी प्रकार के न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल होगा।
34. दोनों पक्षकार चार माह के नोटिस पर अनुबंध निरस्त कर सकते है। यदि चार माह से कम समय का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जाता है तो सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
35. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि रू 1.00 लाख (एक लाख मात्र) धरोहर राशि के रूप में 05 वर्ष तक सुरक्षित रखी जावेगी, इस पर ब्याज देय नही होगा।
36. इकाई प्रबंधक तथा क्षेत्रीय प्रबंधक को गार्डन का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकारी होगा तथा डिफाल्टर की स्थिति में या शर्तों के उल्लंघन या शर्तों का पालन न करने की स्थिति में अनुबंध को निरस्त किया जा सकेगा।

:

पर्यटक ग्राम खजुराहो का मेरिज गार्डन का निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का मूल्य 1000/–

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल
तकनीकी निविदा प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध निदेशक,
म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,
भोपाल (म.प्र.)

1. निविदाकर्ता/संस्था का नाम : ....

2. पता : ....

....

....

3. दूरभाष क्रमांक : ....

मोबाईल : ....

4. अधिकृत व्यक्ति का नाम : ....

5. फर्म का प्रकार (प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी/पब्लिक लिमिटेड : ....

कम्पनी/साझेदारी फर्म/प्रोपराइटर फर्म) : ....

6. संचालक/साझेदार/मालिक का नाम : ....

7. बैंकर का नाम एवं पता : ....

8. (अ) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... राशि 1000/–

(ब) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... राशि 1.00 लाख

बैंक का नाम .... स्थान ....

9. सर्विस टैक्स पंजीयन क्रमांक ....

10. आयकर विभाग का पेन क्रमांक ....

11. फुड लाईसेन्स क्रमांकः–....................दिनांक....................

12. संस्था का स्थापना पंजीयनः–....................दिनांक....................

:

13. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था के साथ किए गए कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
14. विगत तीन वर्षो (2011–12, 2012–13 एवं 2013–2014) की (Balance Sheet) अनिवार्य रूप से संलग्न की जावे। अंतिम वर्ष 2013–2014 से संबंधित गतिविधियों का टर्न ओवर 15.00 लाख अथवा इससे अधिक होना चाहिए। अंतिम वर्ष 2013–2014 का टर्न ओवर प्रमाण पत्र चार्टड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
15. कम्पनी की दशा में मेमोरेण्डम Memorandum and Articles of Association संचालको की सूची, साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी प्रलेख व साझेदारी का विवरण दिया जावे।

संलग्न दस्तावेजों की सूची :–

1) ....
2) ....
3) ....
4) ....
5) ....
6) ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

घोषणा

1. मैं घोषणा करता/करती हूॅ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, वह सत्य है। यदि निविदा मेरे पक्ष में रही तो सूचना के मिलने के तुरन्त पश्चात निगम की इकाई में मेरिज गार्डन का आधिपत्य प्राप्त कर लूगॉ/लूॅगी।
2. यदि मेरे द्वारा निविदा के नियम शर्तो का पालन नही किया जाता है, तो धरोहर राशि निगम को राजसात करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

:

पर्यटक ग्राम खजुराहो का मेरिज गार्डन का निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का मूल्य 1000/–

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल

वित्तीय निविदा प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध निदेशक,
म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,
भोपाल (म.प्र.)

1. निविदाकर्ता/संस्था का नाम : ....

2. पता : ....

....

....

3. दूरभाष क्रमांक : ....

4. मेरिज गार्डन किराये पर लिये जाने हेतु किराये की वार्षिक राशि ....

(शब्दों में)..(टैक्स अतिरिक्त)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

: